प्रेस-विज्ञप्ति

दीव में मतगणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को दिया गया मतगणना संबंधी प्रशिक्षण

दीव 10 नवम्बर, 2020 : दीव जिला चुनाव अधिकारी श्रीमती सलोनी राय के दिशा-निर्देश पर दीव समाहर्तालय सभागार में मतगणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को आज दूसरी बार मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दिया गया । श्री जयेश धंधुकिया ने मतगणना पर्यवेक्षकों एवं सहायकों को प्रशिक्षण देते हुए मतगणना से संबंधित सभी बारीकियों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान यह बताया गया कि मतदान के दिन मतों की गिनती सबसे पहले बैलेट पेपरों से होगी। इसके लिए पर्यवेक्षकों को प्रपत्र 28-ए ओर 28-बी का मिलान करना अनिवार्य होगा। जिन मतपत्रों पर संबंधित मतदाता और प्रभारी अधिकारी ने घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हों, तो उन मतपत्रों को अवैध माना जाएगा। मतपत्रों की गिनती का काम मतगणना आरंभ होने के आधे घंटे की समय-सीमा में पूरा किया जाएगा।

मतपत्रों की गिनती के बाद ई.वी.एम. के जरिये हुए मतदान की गिनती आरंभ होगी। इसके लिए कंट्रोल यूनिट से मतगणना का प्रशिक्षण भी मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों को दिया गया। इसके तहत अंडरवोटों की गणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान 26 मतदान केन्द्रों के 26 कंट्रोल यूनिटों में बंद मतों की इलेक्ट्रॉनिक गणना की जाएगी। पीठासीन अधिकारियों द्वारा भरे गये प्रपत्र 26 का मिलान कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों से करना अनिवार्य होगा।

ध्यातव्य हो कि दीव ग्राम एवं जिला पंचायत आम चुनाव के लिए मतगणना होनी है। यह मतगणना तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, दीव में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इस दौरान मतगणना कक्ष में निर्वाचन अधिकारी, उप-निर्वाचन अधिकारी, मतगणना पर्यवेक्षक एंव मतगणना सहायकों के अलावा प्रत्याशी या उनके एजेंट उपस्थित होंगे।

हस्ता/-

(नोडल अधिकारी/जन-संपर्क अधिकारी)

दीव